

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2014/ 339


दिनांक:- १७/६/१५

### आदेश

आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न प्रयोजनार्थ संस्थानिक भूमि आवंटन के आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं। निजी संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ प्रस्तुत दस्तावजों की जांच, संस्था की पात्रता, भूमि की मौका रिपोर्ट, राजस्व रिकॉर्ड, स्वामित्व और आवंटन की अनुशंसा किये जाने हेतु निम्न मण्डल अधिकारियों की समिति गठित की जाती है।

उप सचिव,  
उप वित्तीय सलाहकार  
संबंधित उप आवासन आयुक्त  
वरिष्ठ नगर नियोजक

उप सचिव को सयोजक के रूप में नियुक्त किया जाता है। उप आवासन आयुक्त द्वारा प्राप्त प्रस्ताव की गहन जांच/मौका रिपोर्ट सहित प्रकरण में भूमि आवंटन की स्पष्ट अनुशंसा के साथ ही प्रस्ताव मुख्य संपदा प्रबंधक को प्राप्ति के सात दिवस में प्रस्तुत करेंगे।

  
(आनन्द कुमार)  
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता(मु.), प्रथम /द्वितीय/ निदेशक (विधि) /मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप सचिव/उप वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रथम/द्वितीय, /पी.एण्ड.एम/अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त.....राजस्थान आवासन मण्डल, .....
7. ✓ संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
8. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य संपदा प्रबंधक